मध्यप्रदेश विधान सभा

क्रमांक-3

संक्षिप्त कार्य विवरण

पत्रक भाग-एक

बुधवार, दिनांक 9 जुलाई, 2008 (आषाढ़ 18, 1930)

विधान सभा पूर्वाह्न 10.33 बजे समवेत हुई.

अध्यक्ष महोदय (श्री ईश्वरदास रोहाणी) पीठासीन हुए.

1. प्रश्नोत्तर

विपक्ष के अधिकांश सदस्यगण सदन में काले गमछे पहनकर आये। अध्यक्ष महोदय द्वारा प्रश्नकर्ता श्री अर्जुन पलिया तथा श्री किशोर समरीते, सदस्यगण का नाम पुकारा गया। श्रीमती जमुना देवी नेता प्रतिपक्ष द्वारा प्रदेश बंद की घटना के संबंध में न्यायिक जांच की मांग की गई।

अध्यक्ष महोदय द्वारा प्रश्नकाल चलने देने का अनुरोध किया गया किन्तु सदन में अत्यधिक व्यवधान एवं शोरगुल का वातावरण होने से प्रश्न काल नही हो सका अत दिनांक 9 जुलाई, 2008 के निर्धारित प्रश्नोत्तर नियम 45 (3) के अनुसार कार्यवाही के अंत में मुद्रित किए जाएंगे।

10.34 बजे से 11.30 बजे तक कार्यवाही स्थगित की गई।

अध्यक्ष महोदय (श्री ईश्वरदास रोहाणी) पीठासीन हुए.

2. नियम 267-क के अधीन विषय

अध्यक्ष महोदय द्वारा की गई घोषणानुसार, निम्नलिखित माननीय सदस्यों की नियम 267-क के अधीन सूचनाएं सदन में पढ़ी हुई मानी जाएंगी तथा इन्हें उत्तर के लिये संबंधित विभागों को भेजा जाएगा :-

(1) श्री उम्मेद सिंह बना, सदस्य की मुरैना जिले के जौरा एवं पहाडगंज में सड़कों का निर्माण न करना,

(2) डॉ. निशिथ पटेल, सदस्य की कटनी जिले के रीठी एवं बहोरीबंद जनपदों में पाला पीड़ित कृषकों को मुआवजा न मिलना,

(3) डॉ. गोविंद सिंह, सदस्य की प्रदेश में नकली घी का कारोबार होना,

(4) श्री काशी प्रसाद बागरी, सदस्य की सतना जिले में चिन्हित स्थानों पर हैण्डपंप खनन न करना,

(5) श्री किशोर समरीते, सदस्य की लांजी क्षेत्र के ग्राम टेमनी, लाड़ता एवं घोटी घुसमारा में ट्रांसफार्मर न बदला जाना,

(6) श्री सुखदेव पांसे, सदस्य की भोपाल के साउथ टी.टी. नगर एवं नार्थ टी.टी. नगर में शासकीय आवासों की जर्जर हालत होना,

(7) श्री गिरिजा शंकर शर्मा,सदस्य की इटारसी के जनसेवा रुग्णालय अस्पताल में चिकित्सकों की कमी होना,

(8) श्री छोटेलाल सरावगी (खुद्दी भैया), सदस्य की अनूपपुर जिले में खाद्यान्न वितरण में अनियमितता होना,

(9) श्री जुगुल किशोर, सदस्य की सतना जिले के नागौद चिकित्सालय में कुत्ते के काटने पर घायल बालक का ईलाज न होना,

(10) श्रीमती सुधा जैन, सदस्य की महिला पॉलीटेक्निक, सागर के भण्डार गृह में आग लगने से दस्तावेजों के जलने तथा

(11) डॉ. आई.एम.पी. वर्मा, सदस्य की जिला दमोह में सेन समाज के लोगों पर समाज द्वारा बंदिश लगाना.

3. पत्रों का पटल पर रखा जाना

(1) श्री बाबूलाल गौर, वाणिज्यिक कर मंत्री ने मध्यप्रदेश वेट अधिनियम, 2002 (क्रमांक 20 सन् 2002) की धारा 71 की उपधारा (5) की अपेक्षानुसार, वाणिज्यिक कर विभाग की निम्नलिखित अधिसूचनाएं -

(क) क्रमांक एफ-ए-3-14-08-1 पांच (22) दिनांक 18 जून, 2008,

(ख) क्रमांक एफ-ए-3-14-08-1 पांच (23) दिनांक 18 जून, 2008, तथा

(ग) क्रमांक एफ-ए-3-14-08-1-पांच (24) शुद्धि पत्र दिनांक 25 जून, 2008

(2) श्री हिम्मत कोठारी, गृह मंत्री ने कम्पनीज एक्ट, 1956 की धारा 619-क की उपधारा (3) (ख) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश पुलिस हाउसिंग कार्पोरेशन लिमिटेड का पच्चीसवां वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखा वर्ष 2005-2006,

(3) डॉ. गौरीशंकर शेजवार, ऊर्जा मंत्री ने -

(i) विद्युत अधिनियम, 2003 (क्रमांक 36 सन् 2003) की धारा 182 की अपेक्षानुसार ऊर्जा विभाग की निम्नलिखित अधिसूचनाएं -

(क) क्रमांक 443/म.प्र.वि.नि.आ./2008, दिनांक 22 फरवरी, 2008,

(ख) क्रमांक 2018/म.प्र.वि.नि.आ./2007, दिनांक 6 अक्टूबर, 2007,

(ग) क्रमांक 2138/म.प्र.वि.नि.आ./2007, दिनांक 18 अक्टूबर, 2007,

(घ) क्रमांक 1846/म.प्र.वि.नि.आ./2004, दिनांक 13.9.2007,

(ङ) क्रमांक 1179/म.प्र.वि.नि.आ./2008, दिनांक 3 जून, 2008,

(च) क्रमांक 1349/म.प्र.वि.नि.आ./2007, दिनांक 10.7.2007,

(छ) क्रमांक 1227/म.प्र.वि.नि.आ./2007, दिनांक 27.6.2007,

(ज) क्रमांक 1142/म.प्र.वि.नि.आ./2007, दिनांक 20.6.2007,

(झ) क्रमांक 1191/म.प्र.वि.नि.आ./2007, दिनांक 23.6.2007,

(ञ) क्रमांक 1399/म.प्र.वि.नि.आ./2007, दिनांक 19.7.2007,

(ट) क्रमांक 1404/म.प्र.वि.नि.आ./2007, दिनांक 19.7.2007,

(ठ) क्रमांक 1474/म.प्र.वि.नि.आ./2007, दिनांक 27.7.2007, तथा

(ड) क्रमांक 1606/म.प्र.वि.नि.आ./2007, दिनांक 13.8.2007.

(ii) कम्पनीज एक्ट, 1956 की धारा 619-क की उपधारा (3) (ख) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड का 25 वां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2006-2007,

(iii) कम्पनीज एक्ट, 1956 की धारा 619-क की उपधारा (3) (ख) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश पॉवर जनरेटिंग कम्पनी लिमिटेड का पंचम वार्षिक प्रतिवेदन दिनांक 1 अप्रैल, 2006 से 31 मार्च 2007; एवं

(iv) विद्युत अधिनियम, 2003 (क्रमांक 36 सन् 2003) की धारा 105 की उपधारा (2) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग का वार्षिक प्रतिवेदन वित्तीय वर्ष 2007-2008,

(4) श्री जयंत मलैया, वाणिज्य, उद्योग और रोजगार मंत्री ने कम्पनीज एक्ट, 1956 की धारा 619-क की उपधारा (3) (ख) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश स्टेट इंडस्ट्रियल डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड का 39वां वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखा वर्ष 2004-2005 वर्ष समाप्ति दिनांक 31 मार्च, 2005 के लिए,

(5) श्री जगदीश देवड़ा, अनुसूचित जाति कल्याण मंत्री ने मध्यप्रदेश राज्य अनुसूचित जाति आयोग अधिनियम, 1995 (क्रमांक 25 सन् 1995) की धारा 14 की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश राज्य अनुसूचित जाति आयोग के तृतीय प्रतिवेदन वर्ष 1998-1999, चतुर्थ प्रतिवेदन वर्ष 2000-2001 पंचम प्रतिवेदन वर्ष 2001-2002 तथा षष्ठम प्रतिवेदन वर्ष 2002-2003 की अनुशंसाओं पर पालन प्रतिवेदन
पटल पर रखे।

(श्री किशोर समरीते सदस्य द्वारा कुछ पैकेट्स आसंदी की टेबल पर रखे जिन्हें मार्शल द्वारा हटाया गया)

4. ध्यानाकर्षण

अध्यक्ष महोदय द्वारा घोषणा की गई कि आज की कार्यसूची में सम्मिलित ध्यानाकर्षण की निम्नलिखित सूचनाएं एवं इनके विभागीय उत्तर माननीय सदस्यों को भेजे जायेंगे :-

(1) श्री दिलीप सिंह गुर्जर, सदस्य की उज्जैन जिले के नागदा-खाचरौद क्षेत्र में पाला पीड़ित कृषकों का सर्वे न किये जाने संबंधी सूचना तथा राजस्व मंत्री का वक्तव्य

(2) श्री गजराज सिंह सिकरवार, सदस्य की मुरैना जिले के अनेक गांवों में आंधी से विद्युत खम्भे टूटने से उत्पन्न स्थिति संबंधी सूचना तथा ऊर्जा मंत्री का वक्तव्य।

(3) श्री बृजेन्द्र तिवारी, सदस्य की ग्वालियर जिले के गन्ना कृषकों को गन्ने का भुगतान शुगर मिल द्वारा न किये जाने संबंधी सूचना तथा किसान कल्याण तथा कृषि विकास मंत्री का वक्तव्य।

(4) डॉ. गोविन्द सिंह, श्री रामनिवास रावत, श्रीमती सरोज बच्चन नायक, सदस्य की मुरैना जिले के ग्राम पचेखा निवासी कृषक को फर्जी मुठभेड़ में मारे जाने संबंधी सूचना तथा गृह मंत्री का वक्तव्य।

5. अनुपस्थिति की अनुज्ञा

अध्यक्ष महोदय द्वारा सदन में घोषणा की गई कि निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक 109-मझौली के सदस्य श्री अजय विश्नोई ने विधान सभा के वर्तमान जुलाई, 2008 सत्र की बैठकों से अनुपस्थित रहने की अनुज्ञा चाही है।

अनुज्ञा प्रदान की गई।

6. प्रतिवेदनों की प्रस्तुति

(1) श्री ध्यानेन्द्र सिंह, सदस्य ने लोक लेखा समिति का 400वां से 411वां प्रतिवेदन प्रस्तुत किया।
(2) श्रीमती सुधा जैन, सभापति ने प्राक्कलन समिति का पन्द्रहवां एवं सोलहवां प्रतिवेदन प्रस्तुत किया।
(3) श्री देवी सिंह पटेल, सभापति ने प्रत्यायुक्त विधान समिति का दशम् प्रतिवेदन प्रस्तुत किया।
(4) श्रीमती सुशीला राकेश सिरोठिया, सदस्य ने महिलाओं एवं बालकों के कल्याण संबंधी समिति का सोलहवां प्रतिवेदन प्रस्तुत किया।

7. वक्तव्य

श्री जयंत मलैया, वाणिज्य, उद्योग और रोजगार मंत्री ने दिनांक 20 फरवरी, 2007 को पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या 26 (क्रमांक 447) एवं दिनांक 11 मार्च, 2008 को पूछे तारांकित प्रश्न संख्या 21 (क्रमांक 84) के उत्तरों में संशोधन करने के संबंध में वक्तव्य दिया।

(अध्यक्ष महोदय द्वारा गर्भगृह में आये सदस्यगण से वापस अपने आसनों पर जाने हेतु अनुरोध किया गया)

8. याचिकाओं की प्रस्तुति

अध्यक्ष महोदय द्वारा की गई घोषणानुसार -

(1) श्री किशोर समरीते, सदस्य की बालाघाट जिले के ग्राम पंचायत बोथली के वार्ड क्रमांक 5,6,9,11 एवं 12 की पेयजल समस्या दूर करने हेतु नलकूप उत्खनन कराये जाने,
(2) डॉ. गोविन्द सिंह, सदस्य की भिण्ड जिले के -
(क) मेहगांव विकास खण्ड के ग्राम सिरसी में स्टेडियम निर्माण कराये जाने,
(ख) ग्राम सिरसी से अमायन गाता मुख्यमार्ग तक सड़क निर्माण कराये जाने,
(ग) ग्राम सिरसी में नहरों को चालू कराये जाने,
(घ) ग्राम सिरसी में सुनाव नदी पर स्टाप डेम बनाये जाने, तथा
(ङ) ग्राम परधाना से वायाकिटी मौ मार्ग तक सड़क निर्माण कराये जाने,
(3) श्रीमती सरोज बच्चन नायक, सदस्य की कटनी जिले के -
(क) ग्राम बरखेड़ा की शासकीय माध्यमिक शाला को शासकीय हाई स्कूल में उन्नयन कराये जाने,
(ख) विकास खण्ड रीठी के ग्राम बिलहरी की शासकीय कन्या माध्यमिक शाला को शासकीय कन्या हाई स्कूल में उन्नयन कराये जाने, तथा
(ग) ग्राम स्लीमनाबाद की शासकीय प्राथमिक कन्या शाला को शासकीय माध्यमिक कन्या शाला में उन्नयन कराये जाने तथा
(4) श्री दिलीप सिंह गुर्जर, सदस्य की उज्जैन जिले की नागदा तहसील, महिदपुर तहसील एवं खाचरोद तहसील को मिलाकर नागदा जिला बनाये जाने
संबंधी याचिकाएं पढ़ी हुई मानी गई।

9. वर्ष 2008-2009 के प्रथम अनुपूरक अनुमान की मांगों पर मतदान

अध्यक्ष महोदय ने घोषणा की कि सदन की परम्परानुसार, अनुपूरक मांगों की चर्चा में सभी मांगें एक साथ प्रस्तुत की जाती हैं और एक साथ चर्चा होती है। अतः वित्त मंत्री सभी मांगें एक साथ प्रस्तुत कर दे।

सदन द्वारा सहमति प्रदान की गई।

श्री राघवजी, वित्त मंत्री ने राज्यपाल महोदय की सिफारिश के अनुसार प्रस्ताव किया कि -

"दिनांक 31 मार्च, 2009 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष में अनुदान संख्या 1, 2, 3, 4, 5, 6, ,7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 19, 20, 21, 23, 24, 26, 27, 29, 32, 33, 34, 39, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 51, 52, 54, 55, 56, 58, 63, 64, 66, 67, 72, 75, 77, 78, 79 एवं 80 के लिए राज्य की संचित निधि में से प्रस्तावित व्यय के लिए निमित्त राज्यपाल महोदय को कुल मिलाकर सोलह सौ आठ करोड़, अड़तीस लाख, पच्चीस हजार, पांच सौ रूपये की अनुपूरक राशि दी जाय.".

अनुपूरक मांगों का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

10. शासकीय विधि विषयक कार्य

श्री राघवजी वित्त मंत्री ने प्रस्ताव किया कि मध्यप्रदेश विनियोग (क्रमांक-5) विधेयक, 2008 (क्रमांक 21 सन् 2008) को पुर:स्थापित किया जाए तथा प्रस्ताव किया कि इस विधेयक पर विचार किया जाय।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विधेयक पर खण्डशः विचार हुआ।

खण्ड 2,3 तथा अनुसूची विधेयक के अंग बने।

खण्ड 1 विधेयक का अंग बना।

पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र विधेयक के अंग बने।

श्री राघवजी वित्त मंत्री ने प्रस्ताव किया कि मध्यप्रदेश विनियोग (क्रमांक-5) विधेयक, 2008 (क्रमांक 21 सन् 2008) पारित किया जाय।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विधेयक पारित हुआ।

11. वर्ष 1995-96 की अधिकाई अनुदानों की मांगों पर मतदान

श्री राघवजी, वित्त मंत्री ने राज्यपाल महोदय की सिफारिश के अनुसार प्रस्ताव किया कि -

"दिनांक 31 मार्च, 1996 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष में अनुदान संख्या 3, 12, 13, 22, 23, 16, 20, 21, 24, 28, 30, 32, 34, 49, 58, 60, 67 तथा 76 के लिए स्वीकृत राशि के अतिरिक्त किये गये समस्त अधिकाई व्यय की पूर्ति के निमित्त राज्यपाल महोदय को दो सौ इक्यावन करोड़, अठावन लाख, नवासी हजार, पांच सौ पचास रूपये की राशि दिया जाना प्राधिकृत किया जाय.".

अधिकाई मांगों का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

(विपक्ष के कुछ सदस्यों द्वारा गर्भगृह से आसंदी की ओर काले गमछे फेंके गये जिन्हें मार्शल द्वारा हटाया गया। अध्यक्ष महोदय द्वारा अशालीन व्यवहार की निंदा की गई)

12. शासकीय विधि विषयक कार्य

श्री राघवजी वित्त मंत्री ने प्रस्ताव किया कि मध्यप्रदेश विनियोग (क्रमांक-3) विधेयक, 2008 (क्रमांक 19 सन् 2008) को पुर:स्थापित किया जाए तथा प्रस्ताव किया कि इस विधेयक पर विचार किया जाय।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विधेयक पर खण्डशः विचार हुआ।

खण्ड 2, 3 तथा अनुसूची विधेयक के अंग बने।
खण्ड 1 विधेयक का अंग बना।
पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र विधेयक के अंग बने।

श्री राघवजी वित्त मंत्री ने प्रस्ताव किया कि मध्यप्रदेश विनियोग (क्रमांक-3) विधेयक, 2008 (क्रमांक 19 सन् 2008) पारित किया जाय।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।
विधेयक पारित हुआ।

(विपक्ष के सदस्यगण द्वारा नारेबाजी की जाती रही)
(प्रतिक्रिया स्वरूप सत्ता पक्ष के सदस्यगण द्वारा भी नारेबाजी की गई)

13. वर्ष 1996-97 की अधिकाई अनुदानों की मांगों पर मतदान

श्री राघवजी, वित्त मंत्री ने राज्यपाल महोदय की सिफारिश के अनुसार प्रस्ताव किया कि -

दिनांक 31 मार्च, 1997 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष में अनुदान संख्या 10, 12, 15, 20, 21, 24, 27, 30, 32, 33, 36, 42, 44, 58, 61, 67 तथा 70 के लिए स्वीकृत राशि के अतिरिक्त किये गये समस्त अधिकाई व्यय की पूर्ति के निमित्त राज्यपाल महोदय को दो सौ इकतीस करोड़, अड़तीस लाख, बानवे हजार, एक सौ पैतालीस रुपये की राशि दिया जाना प्राधिकृत किया जाय."

अधिकाई मांगों का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

14. शासकीय विधि विषयक कार्य

(1) श्री राघवजी, वित्त मंत्री ने प्रस्ताव किया कि मध्यप्रदेश विनियोग (क्रमांक-4) विधेयक, 2008 (क्रमांक 20 सन् 2008) को पुर:स्थापित किया जाए तथा प्रस्ताव किया कि इस विधेयक पर विचार किया जाय।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विधेयक पर खण्डशः विचार हुआ।

खण्ड 2, 3 तथा अनुसूची विधेयक के अंग बने।
खण्ड 1 विधेयक का अंग बना।
पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र विधेयक के अंग बने।

श्री राघवजी, वित्त मंत्री ने प्रस्ताव किया कि मध्यप्रदेश विनियोग (क्रमांक-4) विधेयक, 2008 (क्रमांक 20 सन् 2008) पारित किया जाय।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।
विधेयक पारित हुआ।

सदन में अत्यधिक व्यवधान एवं शोरगुल के कारण कार्यवाही 11.53 बजे आधे घण्टे के लिए स्थगित होकर 12.22 बजे पुन: समवेत हुई।

अध्यक्ष महोदय (श्री ईश्वरदास रोहाणी) पीठासीन हुए.

(विपक्ष के अधिकांश सदस्यों द्वारा गर्भगृह में आकर काले गमछे के साथ मानव श्रृंखला बनाई गई एवं नारेबाजी की गई। इसी दौरान नेता प्रतिपक्ष, श्रीमती जमुना देवी द्वारा भी काला दुपट्टा लहराने पर अध्यक्ष महोदय द्वारा विधान सभा की मर्यादा का ध्यान रखने के लिए अनुरोध किया गया। आसंदी से गर्भगृह में आये सदस्यों को अपने आसनों पर वापस जाने का निर्देश दिया गया)

15. निंदा प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाना

डॉ. नरोत्तम मिश्रा, संसदीय कार्य मंत्री द्वारा निंदा प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया कि :-

"आज सदन की कार्यवाही के दौरान विपक्षी दलों के सदस्यगण द्वारा आसंदी पर काला दुपट्टा/सामग्री फैंके जाने तथा माननीय अध्यक्ष के विरूद्ध नारेबाजी करने का कृत्य न केवल अमर्यादित है बल्कि सदन की स्थापित संसदीय परंपराओं के प्रतिकूल एवं गरिमा के विरूद्ध है। अत: सदन द्वारा उक्त कृत्य की निंदा की जाय।"

16. शासकीय विधि विषयक कार्य (क्रमश:)

महर्षि पाणिनी संस्कृत विश्वविद्यालय विधेयक, 2006 पर पुनर्विचार कर, संशोधन उपरान्त पारण

श्री अनूप मिश्रा, उच्च शिक्षा मंत्री ने प्रस्ताव किया कि मध्यप्रदेश विधान सभा द्वारा दिनांक 7 नवम्बर, 2006 को यथापारित महर्षि पाणिनी संस्कृत विश्वविद्यालय विधेयक, 2006 को यथापारित महर्षि पाणिनी संस्कृत विश्वविद्यालय विधेयक, 2006 (क्रमांक 23 सन् 2006) में राज्यपाल द्वारा उनके दिनांक 3 जुलाई, 2008 के संदेश के आलोक में निम्नलिखित संशोधन पर विचार किया जाय :-

खण्ड 28 में, -

(i) उपखण्ड (1) के स्थान पर, निम्नलिखित उपखण्ड स्थापित किए जाएं, अर्थात :-

कुलपति. (1) कुलपति की नियुक्ति उपधारा (2) उपधारा (6) के अधीन गठित समिति द्वारा सिफारिश किए गए कम से कम तीन व्यक्तियों की तालिका (पेनल) में से कुलाधिपति द्वारा की जाएगी :

परंतु यदि समिति द्वारा सिफारिश किये गये व्यक्तियों में से कुलाधिपति द्वारा अनुमोदित कोई व्यक्ति या व्यक्तिगण नियुक्ति प्रतिगृहीत करने के लिए रजामंद न हों, तो कुलाधिपति ऐसी समिति से नई सिफारिश मंगा सकेगा :

परंतु यह और कि विश्वविद्यालय का प्रथम कुलपति, राज्य सरकार से परामर्श के पश्चात्, कुलाधिपति द्वारा नियुक्त किया जाएगा।

(2) कुलाधिपति एक समिति नियुक्त करेगा जिसमें निम्नलिखित व्यक्ति होंगे, अर्थात् :-

(एक) कार्य परिषद् द्वारा निर्वाचित किया गया एक व्यक्ति,

(दो) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष द्वारा नामनिर्देशित किया गया एक व्यक्ति,

(तीन) कुलाधिपति द्वारा नामनिर्देशित किया गया एक व्यक्ति।

कुलाधिपति इन तीन व्यक्तियों में से एक को समिति का अध्यक्ष नियुक्त करेगा।

(3) उपधारा (2) के अधीन समिति गठित करने के लिए कुलाधिपति, कुलपति की अवधि का अवसान होने के छः मास पूर्व, कार्य परिषद् तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष को अपने-अपने नामनिर्देशितियों को चुनने के लिए अपेक्षित करेगा और यदि उनमें से कोई एक या दोनों इस बारे में कुलाधिपति की संसूचना प्राप्त होने के एक मास के भीतर ऐसा करने में असफल रहते हैं, तो कुलाधिपति, यथास्थिति, किसी एक या दोनों व्यक्तियों को आगे नामनिर्देशित कर सकेगा।

(4) किसी भी ऐसे व्यक्ति को, जो विश्वविद्यालय या किसी महाविद्यालय से संसक्त हो, उपधारा (2) के अधीन समिति के लिये निर्वाचित या नामनिर्देशित नहीं किया जायेगा।

(5) समिति अपने गठन की तारीख से छह सप्ताह के भीतर या चार सप्ताह से अनधिक ऐसे और समय के भीतर, जो कि कुलाधिपति द्वारा बढ़ाया जाय, तालिका (पेनल) प्रस्तुत करेगी।

(6) यदि किसी कारण से वह समिति जो उपधारा (2) के अधीन गठित की गई हो, उपधारा (5) में विनिर्दिष्ट की गई कालावधि के भीतर तालिका (पेनल) प्रस्तुत करने में असफल रहे, तो कुलाधिपति एक अन्य समिति गठित करेगा जिसमें ऐसे तीन व्यक्ति होंगे, जो विश्वविद्यालय या किसी महाविद्यालय से संसक्त न हों, जिनमें से एक को अध्यक्ष के रूप में अभिहित किया जायेगा और इस प्रकार गठित की गई समिति अपने गठन की तारीख से छह सप्ताह की कालावधि के भीतर या ऐसी लघुतर कालावधि जैसी कि विनिर्दिष्ट की जाय, के भीतर तीन व्यक्तियों की तालिका (पेनल) प्रस्तुत करेगी।

(7) यदि उपधारा (6) के अधीन गठित समिति, उस उपधारा में विनिर्दिष्ट की गई कालावधि के भीतर तालिका (पेनल) प्रस्तुत करने में असफल रहे, तो कुलाधिपति किसी भी ऐसे व्यक्ति को, जिसे वह उपयुक्त समझे, कुलपति नियुक्त कर सकेगा।

(ii) विद्यमान उपखण्ड (2) से (9) को क्रमश: उपखण्ड (8) से (15) के रूप में पुनर्क्रमांकित किया जाए और इस प्रकार पुनर्क्रमांकित किए गए उपखण्ड (9) में शब्द "नवीकरणीय" के स्थान पर "केवल एक बार नवीकरणीय" स्थापित किये जाएं,

(iii) पुनर्क्रमांकित उपखण्ड (15) के पश्चात् निम्नलिखित उपखण्ड अन्त:स्थापित किये जाएं,अर्थात्:-

"(16) यदि अभ्यावेदन किया जाने पर या अन्यथा और ऐसी जांच, जो कि आवश्यक समझी जाए, करने के पश्चात किसी भी समय कुलाधिपति को यह प्रतीत हो कि कुलपति ने-

(एक) इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन उस पर अधिरोपित किये गये किसी कर्तव्य का पालन करने में व्यतिक्रम किया है; या

(दो) विश्वविद्यालय के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाली रीति में कार्य किया है; या

(तीन) वह विश्वविद्यालय के कार्यकलापों का प्रबंध करने में असमर्थ है,

तो कुलाधिपति, इस तथ्य के होते हुए भी कि कुलपति की पदावधि का अवसान नहीं हुआ है एक लिखित आदेश द्वारा, जिसमें कारणों का विवरण रहेगा, कुलपति से यह अपेक्षा कर सकेगा कि वह ऐसी तारीख से, जो कि आदेश में विनिर्दिष्ट की जाए, अपना पद त्याग दे.

(17) उपधारा (16) के अधीन कोई आदेश तब तक पारित नहीं किया जाएगा जब तक कि उन आधारों की विशिष्टियां, जिन पर कि ऐसी कार्रवाई का किया जाना प्रस्थापित है, कुलपति को संसूचित कर दी गई हो तथा उसे प्रस्थापित आदेश के विरूद्ध कारण दर्शाने का युक्तियुक्त अवसर न दे दिया गया हो.

(18) उपधारा (16) के अधीन के आदेश में विनिर्दिष्ट की गई तारीख से यह समझा जाएगा कि कुलपति ने पद त्याग दिया है और कुलपति का पद रिक्त हो जाएगा।

(19) कुलपति का पद किन्ही भी कारणों से रिक्त हो जाने की दशा में जिसमें अस्थाई रिक्ति भी सम्मिलित है, प्रो-बाइस चांसलर और यदि कोई प्रो-बाइस चांसलर नियुक्त नहीं किया गया है या यदि प्रो-बाइस चांसलर उपलब्ध नहीं है तो कुलाधिपति द्वारा उस प्रयोजन के लिए नामनिर्देशित किया गया किसी संकाय का संकायाध्यक्ष कुलपति के रूप में उस तारीख तक कार्य करेगा जिसको कि नया कुलपति, जो उपधारा (1) या उपधारा (7) के अधीन नियुक्त किया गया है, ऐसी रिक्ति भरने के लिए अपना पद ग्रहण नहीं कर लेता है।

परन्तु इस उपधारा में अनुध्यात व्यवस्था छह मास से अधिक कालावधि के लिए जारी नहीं रहेगी"

2. खण्ड 52 में उपखण्ड (3) के स्थान पर निम्नलिखित उपखण्ड स्थापित किया जाए, अर्थात् :-

"(3) नियत तारीख के अव्यवहित पूर्व पद धारित करने वाला कुलपति इस बात के होते हुए भी कि उसकी पदावधि का अवसान नहीं हुआ है नियत तारीख से अपना पद रिक्त करेगा और कुलाधिपति, अधिसूचना के जारी होने के साथ-साथ कुलपति को नियुक्त करेगा जो अधिसूचना के प्रवर्तन में रहने की कालावधि के दौरान पद धारण करेगा।

परन्तु कुलाधिपति, राज्य सरकार के परामर्श से कुलपति की नियुक्ति करेगा और वैसी ही रीति में कुलाधिपति द्वारा हटाया जा सकेगा।

"परन्तु यह और कि कुलपति, अधिसूचना के प्रवर्तन की कालावधि का अवसान होने पर भी उसके पश्चात तक पद धारण किये रह सकेगा, जब तक कि उसका उत्तराधिकारी अपना पद ग्रहण न कर ले, किन्तु यह कालावधि एक वर्ष से अधिक नहीं होगी।"

संशोधन स्वीकृत हुआ।

श्री अनूप मिश्रा, उच्च शिक्षा मंत्री ने प्रस्ताव किया कि यथा संशोधित रूप में महर्षि पाणिनी संस्कृत विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2006 (क्रमांक 23 सन् 2006) पुन: पारित किया जाय।

विधेयक पुन: पारित हुआ।

17. अध्यक्षीय घोषणानुसार दिनांक 10 एवं 11 जुलाई, 2008 के प्रश्नोत्तरों का संकलन 9 जुलाई, 2008 की कार्यवाही में मुद्रित किया जाना

अध्यक्ष महोदय द्वारा घोषणा की गई कि जुलाई, 2008 सत्र समय पूर्व समाप्त होने के कारण पूर्व निर्धारित दिनांक 10 एवं 11 जुलाई, 2008 के प्रश्नोत्तरों का संकलन दिनांक 9 जुलाई, 2008 की कार्यवाही में अतारांकित प्रश्नोत्तरों के रूप में सम्मिलित माना जायेगा।

18. विशेषाधिकार भंग की सूचना

अध्यक्ष महोदय द्वारा सदन को सूचित किया गया कि उन्हें श्री उमाशंकर गुप्ता, सदस्य द्वारा "पत्रिका" समाचार पत्र के संपांदक के विरूद्ध विशेषाधिकार भंग की सूचना प्राप्त हुई है। इसे परीक्षणोपरांत जांच, अनुसंधान एवं प्रतिवेदन हेतु विशेषाधिकार समिति को सौंप दिया गया है।

19. निंदा प्रस्ताव पर अध्यक्षीय व्यवस्था

अध्यक्ष महोदय द्वारा सदन को सूचित किया गया कि डॉ. नरोत्तम मिश्रा, संसदीय कार्य मंत्री द्वारा पूर्व में प्रस्तुत निंदा प्रस्ताव को उनके द्वारा हृदय की उदारतापूर्वक अग्राह्य कर दिया गया है।

20. सत्र का समापन

अध्यक्ष महोदय द्वारा सत्र समापन के अवसर पर, निम्नानुसार उदगार व्यक्त किये गये:-

"यह द्वादश विधान सभा का अंतिम सत्र है। मैं माननीय सदन के नेता श्री शिवराज सिंह जी चौहान, माननीय नेता प्रतिपक्ष, माननीय मंत्रीगण, सभी पक्षों के माननीय विधायकों, प्रमुख सचिव से लेकर समस्त अधिकारियों, कर्मचारियों, मार्शल एवं सुरक्षाकर्मियों, सम्माननीय इलेक्ट्रॉनिक एवं प्रिंट मीडिया, मुख्य सचिव से लेकर मंत्रालय के समस्त अधिकारियों एवं कर्मचारियों का, सबका हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। उन्होंने मुझे सहयोग दिया है, मैं उनका हृदय से आभारी हूँ। मध्यप्रदेश विधान सभा की शानदार परम्परा रही है और इस पर मुझे गर्व है। पूरे कार्यकाल में मुझसे कोई जाने अनजाने त्रुटि हुई हो तो मैं अत्यन्त कृतज्ञतापूर्वक सबसे क्षमा याचना करता हूं।"

21. राष्ट्रगान

सदन में माननीय सदस्यगण द्वारा खड़े होकर राष्ट्रगान **"जन-गण-मन"** का समूह गान किया गया।

22. सदन का अनिश्चितकाल के लिए स्थगन संबंधी प्रस्ताव

डॉ. नरोत्तम मिश्रा, संसदीय कार्य मंत्री ने प्रस्ताव किया कि कार्यसूची में जो विषय निहित थे तथा कार्यमंत्रणा समिति द्वारा जो विषय तय किये गये थे वे सब सदन में सम्पन्न किये जा चुके हैं। इसके अलावा अब सदन के समक्ष कोई शासकीय कार्य लंबित नहीं है। अतः सदन की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित की जाय।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अपराह्न 12.38 बजे विधान सभा की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित की गई।

डॉ. ए.के.पयासी
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.